न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी : श्री हेमन्तस्वरूप माथुर, आर ए एस

अपील संख्या आर टी ए/244/2012

उनवान

1. बरदी चन्द पिता नंदा सुथार, निवासी गोपालपुरा, तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा
2. मु0 तुलसी पुत्री नंदा सुथार, निवासी गोपालपुरा, तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा
3. मु0 घीसी पुत्री नंदा सुथार, निवासी गोपालपुरा, तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा
4. मु0 मोतीया पुत्री नंदा सुथार, निवासी गोपालपुरा, तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा

अपीलाण्ट/प्रतिवादीगण

बनाम

1. बालूराम पिता रामचन्द्र तेली मृतक के बजायः—
   1/1 कमला पत्नी बालूराम तेली निवासी जोलास तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा
   1/2 प्रहलाद पिता बालूराम तेली निवासी जोलास तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा
   1/3 गोपाल पिता बालूराम तेली निवासी जोलास तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा
   1/4 लोकेश पिता बालूराम तेली निवासी जोलास तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा
   1/5 श्रीमती सम्पत्ती पुत्री बालूराम तेली पत्नी श्रवण तेली निवासी जोलास, हाल सिंगोली तहसील जावद जिला नीमच (मध्यप्रदेश)
2. देऊ पत्नी कन्हैया लाल सुथार निवासी माजी साहब का खेडा तहसील बिजौलिया

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

3. सोहन लाल पुत्र कन्हैया लाल सुथार निवासी माजी साहब का खेडा तहसील बिजौलिया
4. शंकरी पुत्री कन्हैया लाल सुथार निवासी माजी साहब का खेडा तहसील बिजौलिया
5. मंजू बाई पुत्री कन्हैया लाल सुथार निवासी माजी साहब का खेडा तहसील बिजौलिया
6. भंवरी देवी पुत्री भवाना पत्नी गोविन्द सुथार निवासी जावदा तहसील बिजौलिया
7. सोहनी पुत्री भवाना पत्नी मांगी लाल सुथार निवासी केशरपुरा तहसील बिजौलिया
8. गीता देवी पत्नी गोरधन लाल सुथार निवासी गोपालपुरा तहसील बिजौलिया
9. प्रहलाद पिता गोरधन लाल सुथार निवासी गोपालपुरा तहसील बिजौलिया
10. रामचन्द्र पिता गोरधन लाल सुथार निवासी गोपालपुरा तहसील बिजौलिया
11. गायत्री पुत्री गोरधन लाल सुथार निवासी गोपालपुरा तहसील बिजौलिया
12. संतरा पुत्री गोरधन लाल सुथार निवासी गोपालपुरा तहसील बिजौलिया
13. लाड पुत्री गोरधन लाल सुथार निवासी गोपालपुरा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा
14. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, बिजौलिया जिला भीलवाडा

रेस्पोडण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अपील विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, बिजौलिया के प्रकरण संख्या 23 / 2010(698 / 2001) निर्णय एवं डिक्री दि0 23.5.2012

अधिवक्तागण :–

1. श्री दिनेश सिसोदिया, अधिवक्ता अपीलार्थी

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

2.श्री आर सी सारस्वत ,अधिवक्ता प्रत्यर्थी संख्या 1
3.श्री ओमप्रकाश सोनी, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक 27.9.2019

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रर्त्यी संख्या 1 /वादी ने अधीनस्थ न्यायालय में वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा गोपालपुरा तहसील माण्डलगढ की सरहद में गत बन्दोबस्ती आराजी नम्बर 422/11 रकबा 8 बीघा का विधिवत आवंटन प्रतिवादी नम्बर 1 को दिनांक 17.12.1971 को हुआ एवं कब्जा सिपुर्द किया गया तथा लगान का निर्धारण किया गया। तब से प्रतिवादी नम्बर 1 उक्त भूमि पर काबिज हो आवंटन की शर्तो की पूर्ण पालना करता आ रहा था । इस प्रकार प्रतिवादी नम्बर 1 विधिवत रूप से वादग्रस्त आराजी का खातेदार काश्तकार हो गया । ग्राम गोपालपुरा का नया भू प्रबन्ध सन् 1973 में प्रारंभ हुआ तो प्रतिवादी नम्बर 1 ने उक्त आराजी अपने नाम पर नये नम्बर से दर्ज किये जाने का प्रार्थना पत्र भू प्रबन्ध विभाग के समक्ष प्रस्तुत किया। जिस पर भू प्रबन्ध विभाग ने प्रकरण दर्ज कर बाद कार्यवाही नये नम्बर आराजी नम्बर 678/646 रकबा 10 बीघा 13 बिस्वा बनना पाया जाकर उक्त आराजी राजस्व रेकार्ड में दर्ज खात करने एवं पर्चा खतौनी प्रतिवादी नम्बर 1 के नाम जारी करने का आदेश दिनांक 27.6.1973 को पारित कर दिया । जिसके उपरान्त नवीन आराजी नम्बर 678/646 रकबा 10 बीघा 13 बिस्वा का प्रतिवादी नम्बर 1 को तन्हा खातेदार काश्तकार हो गया । उसके अलावा क्त भूमि में किसी अन्य का कोई संबधं नहीं रहा । प्रतिवादी नम्बर 2 व

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

3 के भुवाना नाम का कोई पुत्र नहीं था तथा प्रतिवादी नम्बर 4 के भवाना नाम का कोई भाई नहीं था। किन्तु प्रतिवादी नम्बर 2,3, 4 ने राजस्व रेकार्ड में मिलाभगती कर प्रतिवादी नम्बर 1 की उक्त आराजी में प्रतिवादी नम्बर 1 की वल्दियत में कांट–फांस कर धूला के स्थान पर नंदा करा लिया एवं यह विवाद उत्पन्न करने लग गये । प्रतिवादी नम्बर 2 व 3 के भुवाना नाम का कोई पुत्र था। जिसका देहावसान हो गया है एवं उसके वारिस प्रतिवादी संख्या 2, 3, व 4 है। इस कारण उक्त वादग्रस्त आराजी प्रतिवादी नम्बर, 2, 3, 4, की है, यह सरासर गलत एवं मनगढन्त कथन है । क्योंकि भवाना नाम का कोई पुत्र प्रतिवादी नम्बर 2 व 3 का नहीं था तथा विवादित भूमि से प्रतिवादी नम्बर 2, 3, व 4 का कोई संबंध नहीं था तथा विवादित भूमि का आवंटन प्रतिवादी नम्बर 1 को हुआ । प्रथम राजस्व रेकार्ड में अंकन भी प्रतिवादी नम्बर 1 के नाम हुआ एवं भू प्रबन्ध विभाग ने भी अपने निर्णय दिनांक 27.6. 1973 में वादग्रस्त आराजी को प्रतिवादी नम्बर 1 के नाम दर्ज किये जाने का आदेश पारित किया है। जबकि भवाना पिता नंदा नाम का व्यक्ति केवल काल्पनिक है एवं प्रतिवादी नम्बर, 2, 3, व 4 ने विवादित भूमि को हडपने की गरज से षड्यंत्र किया है। प्रतिवादी नम्बर 4 ने पुलिस थाना बिजौलिया में एक प्रथम सूचना दर्ज करवाई जिस पर पुलिस द्वारा अंतिम रिपोर्ट दिनांक 29.8.1991 को प्रस्तुत की एवं न्यायालय एम जे एम, बिजौलिया ने दिनांक 17.12.1992 को उक्त अंतिम रिपोर्ट को स्वीकार किया । जिससे भी यह स्पष्ट है कि भुवाना पिता नंदा नाम का कोई व्यक्ति नहीं है एवं वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी नम्बर 1 की आराजी है।

2. जब प्रतिवादी नम्बर 1 को विवादित भूमि का आवंटन किया गया था उसी दिन दिनांक 17.12.1971 को प्रतिवादी नम्बर 4 को भी आराजी नम्बर 422 में ही 12 बीघा भूमि का

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

आवंटन किया गया था। इस प्रकार प्रतिवादी नम्बर 4 को इस तथ्य की सम्पूर्ण जानकारी थी कि विवादित भूमि का आवंटन प्रतिवादी नम्बर 1 को किया गया है फिर भी राजस्व रेकार्ड में प्रतिवादी नम्बर 5 से मिलकर गलत अंकन करवा लिया जो दुरूस्त किये जाने योग्य है। भू प्रबन्ध विभाग द्वारा जारी किये गये आदेश एवं भू प्रबन्ध के पश्चात राजस्व रेकार्ड में किसी प्रकार का परिवर्तन करने का अधिकार प्रतिवादी नम्बर 5 को नहीं है। प्रतिवादी नम्बर 5 जो कि लैण्ड होल्डर है ने अपने राजस्व रेकार्ड में प्रतिवादी नम्बर 1 की वल्दियत धूला के स्थान पर नंदा कर दिया है वह अंकन निरस्त होकर दुरूस्त किये जाने योग्य है तथा इस आशय की घोषणा किया जाना आवश्यक है कि वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी नम्बर 1 की आवंटितसुदा भूमि है जिसमें प्रतिवादी नम्बर, 2, 3, व 4 या उसके परिवार का कोई हक अधिकार नहीं है। प्रतिवादी नम्बर 1 ने अपने अधिकारों के तहत उक्त आराजी का विक्रय वादी के पक्ष में दिनांक 15.3.1991 को कर उसका पंजीयन करा दिया तथा वादग्रस्त भूमि का कब्जा वादी को सिपुर्द कर दिया । उक्त विक्रय पत्र का शुद्धि पत्र दिनांक 4.5.1991 को निष्पादित कर दिया गया । इस विक्रय पत्र के द्वारा वादग्रस्त आराजी के सभी अधिकार वादी में निहित हो गये एवं कब्जा वादी को प्राप्त हो गया । प्रतिवादी नम्बर 5 ने इस विक्रय पत्र के आधार पर वादग्रस्त भूमि का नामान्तरकरण वादी के नाम नामान्तरकरण संख्या 186 दिनांक 9.8.1991 को निर्णित किया है। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि बाबत स्वामित्व वादी में निहित हो गये।

3. प्रतिवादी नम्बर 2 व 3 ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, माण्डलगढ के यहॉ उक्त नामान्तरकरण की अपील प्रस्तुत की जिसमें उपखण्ड अधिकारी जी ने अपील संख्या 19/91 निर्णय दिनांक 29.3.1993 पारित करते हुए

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

कि मुख्य विवाद बिन्दु रेकार्ड का गलत हो जाना नियमित वाद में ही तय हो सकता है। इस आधार पर नामान्तरकरण तहसीलदार का निर्धारण नियमित वाद से ही संभव है। नामान्तरकरण की प्रक्रिया केवल फिसकल प्रोसेसिंग है जिसमें वास्तविक विवाद या स्वामित्व का निर्धारण संभव नहीं होगा । इस कारण वादी को वाद पेश कर अपने अधिकारो की घोषणा करवाये जाने के अलावा अन्य कोई उपचार नहीं रहा है एवं प्रतिवादी नम्बर 5 को किये गये रिमाण्ड आदेश पर प्रतिवादी नम्बर 5 विवादित भूमि के अधिकारों एवं स्वामित्व के बिन्दु पर सुनवाई का क्षेत्राधिकार नहीं रखता है। इस कारण प्रतिवादी नम्बर 5 के द्वारा की जाने वाली कार्यवाही का कोई औचित्य नहीं रहता है। प्रतिवादी नम्बर 2 से 5 राजस्व रेकार्ड में परिवर्तन कर देने पर आमादा है जिससे और भी विवाद उत्पन्न होने तथा मुकदमे बाजी बढने की संभावना उत्पन्न हो गई है। वादी के हितों पर विपरीत प्रभाव पड सकता है तथा वादी के हितों के विपरीत राजस्व रेकार्ड में गलत परविर्तन हो सकता है। नियमित वाद में वादग्रस्त भूमि के अधिकारों स्वामित्व का निर्धारण होने के उपरान्त ही अंतिम रूप से राजस्व रेकार्ड में परिवर्तन होगा । जो विधि अनुरूप एवं न्यायोचित होगा। इससे पूर्व राजस्व रेकार्ड में परिवर्तन नहीं किये जाने बाबत निषेधाज्ञा वादी के पक्ष में जारी किया जाना विधि एवं न्यायसंगत है। अतः इस आशय की घोषणात्मक डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी नम्बर 2 से 5 पारित की जावे कि आराजी नम्बर 678/646 मौजा गोपालपुरा रकबा 10 बीघा 13 बिस्वा भूमि वादी की खातदारी की भूमि है । राजस्व रेकार्ड में प्रतिवादी नम्बर 1 भुवाना पिता धूला को आवंटित भूमि थी एवं राजस्व रेकार्ड में प्रतिवादी नम्बर 1 के पिता का नाम धूला के स्थान पर नंदा गलत अंकित हो गया है जो दुरूस्त किया जाकर धूला अंकित किया जावे तथा

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

प्रतिवादी नम्बर 2 से 4 एवं उनके परिवार का वादग्रस्त आराजी नम्बर 678/646 रकबा 10 बीघा 13 बिस्वा में कोई हक अधिकार नहीं है। इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण पारित की जावे। वर्तमान राजस्व रेकार्ड में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करें एवं न करावे।

4. अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण पंजिबद्ध किया गया एवं बाद विचारण अपीलाधीन निर्णय द्वारा वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया । जिससे व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

5. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

6. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री विधि एवं तथ्यों के विपरीत होने से खारिज योग्य है । उनका यह भी निवेदन है कि रेस्पोडेण्ट/वादी का वाद मुख्य रूप से रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 5.3.1991 एवं शुद्धि पत्र दिनांक 4.5.1991 के आधार पर प्रस्तुत कर अभिकथन किया कि हाल आराजी नम्बर 678/646 रकबा 10 बीघा 13 बिस्वा रेस्पोडेण्ट/वादी ने रेस्पोडेण्ट संख्या 2 से 7 के पूर्वज भवाना पिता धूला को उक्त आराजियात जिसके साबिक आराजी नम्बर 422/11 थे । दिनांक 12.12.1971 को आवंटन की गई थी अर्थात भवाना पिता धूला को साबिक आराजी नम्बर 422 में से 8 बीघा आराजियात दिनांक 17. 12.1971 को आवंटित की गई । जिसके नम्बर 422/11 तत्कालीन समय में कायम किये गये किन्तु कालान्तर में उक्त आराजियात राजस्व कर्मचारियों एवं अधिकारियों ने भवाना पिता नंदा के नाम पर गलत एवं अवैध तरीके से अभिलिखित कर दी । इस कारण पुनः भवाना पिता धूला के नाम पर इन्द्राज दुरूस्त करा उक्त आराजियात का खातेदार

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

काश्तकार वादी/रेस्पोडेण्ट को घोषित किया जावे । उक्त वाद का अपीलाण्ट/प्रतिवादीगण नंदा जी ने वादोत्तर प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त आराजियात भवाना पिता नंदा जी के ही खातेदारी अधिकार की है जिस पर भवाना व उसके निधन के उपरान्त नंदा तथा नंदा के निधन के उपरान्त नंदा के वारिसान काबिज हो उपयोग उपभोग करते चले आ रहे हैं तथा भवाना पिता धूला को कोई आराजियात ही आवंटित नहीं की गई है। जहाँ तक सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी के निर्णय दिनांक 27.8.1973 का प्रश्न है तो उक्त निर्णय में सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी जी ने अपने अधिकार क्षेत्र से परे जाकर बिना समुचित सुनवाई का अवसरदिये पारित किया है। जो प्रारंभ से ही शून्य होकर गलत एवं अवैध है। उक्त वादोत्तर के आधार पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तनकियात कायम की गई और तनकियात का निर्णय अलग–अलग न कर तनकी संख्या 1 से 6 का एवं तनकी संख्या 7 से 9 को एकसाथ निर्णित कर वादी/रेस्पोडेण्ट का वाद कतई साबित नही होते हुए भी विधि के विपरीत डिक्री पारित करने में भारी विधिक भूल की है।

7. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि प्रकरण में मुख्य बिन्दु यही था कि आया भवाना पिता धूला को साबिक आराजी नम्बर 422/11 जिसके नवीन आराजी नम्बर 678/646 थे दिनांक 17.12.11971 को आवंटित की गई । इस बिन्दु को सिद्ध करने का भार वादी/रेस्पोडेण्ट एवं प्रतिवादी संख्या 1 भवाना पर था किन्तु अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में ऐसा एक भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके तहत उक्त आराजियात भवाना पिता धूला सुथार को आवंटन होना प्रमाणित होता हो बल्कि इसके विपरीत अपीलाण्ट/प्रतिवादीगण की ओर से एक आवंटन सूची दिनांक 17.11.1971 की प्रस्तुत की गई। जिसमें भी आराजी

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

संख्या 422 में से 8 बीघा भूमि भवानी लाल पिता कूका खाती को आवंटित होना बताया गया तथा कोई किसी प्रकार का आवंटन 8 बीघा भवाना पिता धूला सुथार को नहीं होना अपने आप में सिद्ध है। वादी/रेस्पोडेण्ट को अपना वाद सिद्ध करने हेतु सुचित साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहिये। वह अपीलाण्ट/प्रतिवादीगण की कमजोरी का फायदा कदापि नहीं उठा सकता है अर्थात वादी/रेस्पोडेण्ट ने आवंटन बाबत कोई दस्तावेज, पत्रावली उक्त आवंटन भवाना पिता धूला को होने के संबंध में प्रस्तुत नहीं की तो फिर विवावदित आराजियात भवाना पिता धूला सुथार को दिनांक 17.11.1971 को आवंटन होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है जब भवाना पिता धूला सुथार को ही उक्त आराजियात बाबत खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं न हुए हैं तो फिर उसके द्वारा वादी/रेस्पोडेण्ट को किया गया उक्त आराजियात का तथाकथित बिकावनामा प्रारंभ से ही स्वतः शून्य, गलत एवं अवैध हो जाता है अर्थात तथाकथित बिकावनामे से वादी/रेस्पोडेण्ट को कोई हक व अधिकार वादग्रस्त आराजियात में प्राप्त नहीं हुए हें न होते हैं किन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने इस अहम बिन्दु को नजरअंदाज कर वादी/रेस्पोडेण्ट का वाद काबिज खारिज होते हुए भी अपने स्तर पर ही वाद को वादी के पक्ष में निर्णत करने में भारी कानूनी भूल की है।

8. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि तथाकथित विक्रय पत्र निष्पादित करने से पूर्व भवाना पिता धूला सुथार को राजस्व रेकार्ड में भवाना पिता नंदा सुथार के स्थान पर भवाना पिता धूला सुथार अंकित कराने की इन्द्राज दुरूस्ती करवानी चाहिये थी। उसके उपरान्त ही उसे वादग्रस्त आराजियात में खातेदारी अधिकार प्राप्त हो सकते थे । बिना राजस्व रेकार्ड में सुधार हुए ही भवाना पिता धूला ने अपने आपको भवाना पिता नंदा सुथार बताते

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

हुए गलत एवं फर्जी तरीके से दिनांक 15.3.1991 को बिकावनामा निष्पादित करा दिया तथा बाद में उक्त आराजियात को हडपने के लिए दिनांक 4.5.1991 को दुराशयपूर्वक शुद्धिपत्र भी निष्पादित करवा दिया। तथाकथित बिकावनामे के आधार पर ही रेस्पोडेण्ट/वादी ने वादग्रस्त आराजियात का नामान्तरकरण संख्या 186 दिनांक 9.8.1991 अपने नाम पर गलत एवं अवैध तरीके से फैसल करवा लिया । जिसकी जानकारी होते ही नंदा सुथार आदि ने अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, माण्डलगढ के यहॉ अपील प्रस्तुत की । जिसके नम्बर 19/1991 कायम हो उक्त अपील दिनांक 9.8.1993 को स्वीकार करते हुए उक्त नामान्तरकरण को निरस्त कर दिया तो फिर बिकावनामे का कोई भी प्रभाव नहीं रह जाता है एवं न ही वादी/रेस्पोडेण्ट को उक्त वाद प्रस्तुत करने का लोक्स स्टेण्डाई रहता है। ऐसी स्थिति में रेस्पोडेण्ट/वादी का वाद खारिज योग्य होने के उपरान्त भी अपीलाधीन निर्णय व डिक्री करने में वैधानिक भूल की है।

9. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि तनकी संख्या 1 से 6 का निर्णय एकसाथ करने में भारी विधिक भूल की है । तनकी संख्या 1 को साबित करने का भार वादी पर था । उसे वादी/रेस्पोडेण्ट ने किसी कदर भी अपनी मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से साबित नहीं कराया है। सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी के निर्णय दिनांक 27.8.1973 को आधार बना अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तनकी का निस्तारण किया है जो सर्वथा गलत होकर अवैध है। क्योंकि सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी उन्हीं गलतियों को दुरूस्त कर सकता है जो बंदोबस्त के दौरान हुई हो अर्थात सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी को खातेदारी अधिकार प्रदान करने का कोई हक अधिकार विधि के तहत नहीं है। यह निर्विवाद है कि उक्त निर्णय दिनांक 27.8.1973 को पारित

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

किया है और भू प्रबन्ध संवत 2007 अर्थात सन् 1972 में ही समाप्त हो गया था। तो फिर सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी को आलोच्य निर्णय पारित करने का क्षेत्राधिकार ही नहीं रहता है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन निर्णय दिनांक 27.8. 1973 के आदेश को को आधार बनाकर पारित किया गया है जो प्रारंभ से ही शून्य होकर अवैध है। ऐसी हालत में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री निरस्त योग्य है।

10. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि तनकी संख्या 2 का निर्णय अधिनस्थ न्यायालय ने एक तरह से अपने आलोच्य निर्णय में किया ही नहीं एवं न ही उक्त तनकी को वादी/रेस्पोडेण्ट ने किसी भी प्रकार की साक्ष्य से साबित ही कराया है । वादग्रस्त आराजियात पर नंदा जी व उनकी मृत्यु के उपरान्त उनके वारिसान अपीलाण्ट आदि का कब्जाकाश्त चला आ रहा है। प्रतिवादी संख्या 1 का कोई स्वामित्व ही वादग्रस्त आराजियात पर कदापित नहीं हो सकता है। क्योंकि कृषि आराजियात का स्वामित्व हमेशा भूमिधारी सरकार में ही कानूनन निहित होता है मात्र खातेदारी अधिकार ही खातेदार को प्राप्त होते हैं वैसे भी उक्त आराजियात कभी भी भवाना पिता धूला सुथार व वादी/रेस्पोडेण्ट को होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है । ऐसी स्थिति में वादी/रेस्पोडेण्ट का वाद किसी कदर कानूनन पोषणीय नहीं होने के बावजूद वादी/रेस्पोडेण्ट का वाद पत्र न कर डिक्री करने में अधिनस्थ न्यायालय ने कानूनी भूल की है।

11. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि तनकी नम्बर 3 को भी वादी/रेस्पोडेण्ट ने किसी कदर सिद्ध नहीं करवाया है। वादी/रेस्पोडेण्ट द्वारा ऐसा कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे धूला को काटकर नंदा सुथार अंकित किया हो अर्थात

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

प्रतिवादी संख्या 2, 3, व 4 ने कोई षड्यंत्र, मिलाभगती नहीं की है, न शहादत से सिद्ध कराई गई है। बल्कि उक्त शहादत से भवाना पिता नंदा का पुत्र होना साबित हुआ है। किन्तु प्रतिवादी संख्या 1 भवाना पिता धूला ने अपने आपको गलत एवं अवैध तरीके से भवाना पिता नंदा होना बता तथाकथित बिकावनामा दिनांक 15.3.1991 फर्जी एवं कूटरचित तरीके से वादी/रेस्पोडेण्ट के हक में दोनों ने आपसी षड्यंत्र एवं दुरभिसंधि कर निष्पादित कराया जो पत्रावली पर आई शहादत से पूर्णतया सिद्ध होते हुए भी वादी/रेस्पोडेण्ट का वाद खारिज न कर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करने में भारी विधिक भूल की है।

12. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि तनकी संख्या 4 का निर्णय भी पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के विपरीत करने में अधिनस्थ न्यायालय ने भारी भूल की है। भू प्रबन्ध अधिकारी का निर्णय प्रारंभ से ही शून्य है इसी कारण उसका एक्ट अपोन नहीं किया गया । इसी तरह तनकी संख्या 5 का निर्णय भी वादी/रेस्पोडेण्ट के पक्ष में करने में अधिनस्थ न्यायालय ने भारी वैधानिक भूल की है। इस तनकी में विक्रय पत्र दिनांक 15.3.1991 जब गलत एवं अवैध तरीके से भवाना पिता धूला ने अपने आपको भवाना पिता नंदा सुथार अंकित कर फर्जी तरीके से निष्पादित करवाया तथा जो शुद्धि पत्र तथाकथित रूप से बताया जाता है वह भी आने आप में फर्जी एवं कूटरचित है क्योंकि भवाना पिता नंदा की आराजियात को हडपने के दुराशय से शुद्धि पत्र में भवाना पिता नंदा उर्फ धूला अंकित कराया गया है जो भी पत्रावली पर उपलब्ध शहादत से सिद्ध हुआ है। इस प्रकार फर्जी एवं कूटरचित दस्तावेज से कोई हक व अधिकार वादी/रेस्पोडेण्ट को प्राप्त नहीं हुए है और इसी कारण आलोच्य नामान्तरकरण संख्या 186 भी सक्षम न्यायालय द्वारा अपास्त किया गया है जिसके विरूद्ध

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

किसी प्रकार की कोई निगरानी वादी/रेस्पोडेण्ट द्वारा नहीं की गई है न भवाना पिता धूला ने की । इस प्रकार वादी/रेस्पोडेण्ट का वाद कानूनन पोषणीय नहीं होने के बावजूद अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है जो निरस्त योग्य है।

13. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि तनकी संख्या 6 के कायम किये जाने की आवश्यकता ही नही थी फिर भी जब तथाकथित बिकावनामा प्रारंभ से ही शून्य अवैध होकर फर्जी एवं कूटरचित है तो फिर ऐसे तथाकथित बिकावनामा के आधार पर वादी/रेस्पोडेण्ट को उक्त वाद लाने का कोई हक व अधिकार नहीं रहता है । विधि के इस सिद्धान्त की जानबूझकर अनदेखी कर वादी/रेस्पोडेण्ट का वाद खारिज न कर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित किये जाने में अधिनस्थ न्यायालय ने भारी विधिक भूल की है।

14. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि तनकी नम्बर 7 से 9 का निर्णय एकसाथ करने में अधिनस्थ न्यायालय ने भारी भूल की है वाद हाजा किसी कदर न्यायालय के क्षेत्राधिकार का नहीं था दोयम 1971 के आवंटन के लगभग 30 वर्ष उपरान्त उक्त वाद प्रस्तुत करना अपने आपमें जाहिर तौर पर बैरून मियाद है इतना ही नहीं तथाकथित बिकावनामें के भी 10 वर्ष उपरान्त यह वाद वादी/रेस्पोडेण्ट द्वारा प्रस्तुत करना अपने आप ही उक्त वाद को संदेहास्पद बना बेरून मियाद सिद्ध हो जाता है। किन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने इस बाबत तनिक भी विचार नहीं कर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करने में भारी विधिक भूल की है। वादग्रस्त आराजी पर कब्जा व दखल अपीलाण्ट एवं उसके पूर्वजों का होने से कब्जा मुखालफाना के आधार पर अपीलार्थीगण वादग्रस्त आराजियता के स्वतः खातेदार हो गये हैं। कब्जा प्राप्ति हेतु वाद प्रस्तुत करने की

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

नियत अवधि 12 वर्ष कभी की समाप्त हो चुकी है। ऐसी स्थिति में वादी/रेस्पोडेण्ट का वाद बेरून मियाद होते हुए भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वाद खारिज न कर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है जो निरस्त योग्य है।

15. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि तनकी नम्बर 9 को अपीलाण्ट/प्रतिवादीगण एवं नंदा जी ने अपनी मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से पूर्णतया साबित कराई है तथा कब्जा व दखल अपीलाण्ट/प्रतिवादीगण का ही वर्तमान में भी चला आ रहा है । अधिनस्थ न्यायालय ने इस बाबत पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का सही ढंग से विवेचन नहीं कर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है । जो निरस्त योग्य है। अतः अपील अपीलार्थीगण स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 23.5.2012 को अपास्त करते हुए वादी/रेस्पोडेण्ट का वाद खारिज किये जाने के साथ ही प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय में प्रतिप्रेषित करते हुए निर्देशित किये जाने का निवेदन किया कि प्रकरण में सही तनकियात कायम की जाकर पुनः निर्णय पारित किया जावे। अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता ने अपने तर्को की पुष्टि में न्यायिक उद्धरण आर बी जे 2011 पेज 261, डब्ल्यू एल सी (3) 2013 पेज संख्या 156, आर आर टी 2015 (2) पेज संख्या 1283 एवं 813, डब्ल्यू एल एन 2014 (3) पेज संख्या 269, आर एल डब्ल्यू 2015 (1) पेज संख्या 368 एवं आर आर टी 2003 (2) पेज संख्या 1090 की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए अपील अपीलार्थीगण स्वीकार करने का निवेदन किया ।

16. प्रत्यर्थी संख्या 1/वादी के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि मौजा गोपालपुरा तहसील माण्डलगढ की सरहद में गत बन्दोबस्ती आराजी नम्बर 422/11 रकबा 8 बीघा का विधिवत आवंटन प्रतिवादी नम्बर 1/भवाना पिता

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

धूला को दिनांक 17.12.1971 को हुआ एवं कब्जा सिपुर्द किया गया तथा लगान का निर्धारण किया गया। तब से प्रतिवादी नम्बर 1/भवाना पिता धूला/प्रत्यर्थी संख्या 2 से 13 के पूर्वज उक्त भूमि पर काबिज हो आवंटन की शर्तो की पूर्ण पालना करता आ रहा था । इस प्रकार प्रतिवादी नम्बर 1 विधिवत रूप से वादग्रस्त आराजी का खातेदार काश्तकार हो गया । ग्राम गोपालपुरा का नया भू प्रबन्ध सन् 1973 में प्रारंभ हुआ तो प्रतिवादी नम्बर 1/भवाना पिता धूला ने उक्त आराजी अपने नाम पर नये नम्बर से दर्ज किये जाने का प्रार्थना पत्र भू प्रबन्ध विभाग के समक्ष प्रस्तुत किया। जिस पर भू प्रबन्ध विभाग ने प्रकरण दर्ज कर बाद कार्यवाही नये नम्बर आराजी नम्बर 678/646 रकबा 10 बीघा 13 बिस्वा बनना पाया जाकर उक्त आराजी राजस्व रेकार्ड में दर्ज खाता करने एवं पर्चा खतौनी प्रतिवादी नम्बर 1 के नाम जारी करने का आदेश दिनांक 27.6.1973 को पारित कर दिया । जिसके उपरान्त नवीन आराजी नम्बर 676/644 रकबा 10 बीघा 13 बिस्वा का प्रतिवादी नम्बर 1/भवाना पिता धूला को तन्हा खातेदार काश्तकार हो गया। उसके अलावा क्त भूमि में किसी अन्य का कोई संबधं नहीं रहा । अपीलाण्टगण के पिता नंदा के भुवाना नाम का कोई पुत्र नहीं था तथा अपीलाण्ट संख्या 1व 2 के भवाना नाम का कोई भाई नहीं था। किन्तु प्रतिवादी नम्बर 2,3, 4 ने राजस्व रेकार्ड में मिलाभगती कर प्रतिवादी नम्बर 1 की उक्त आराजी में प्रतिवादी नम्बर 1/भवाना पिता धूला की वल्दियत में कांट–फांस कर धूला के स्थान पर नंदा करा लिया एवं यह विवाद उत्पन्न करने लग गये । अपीलाण्ट संख्या 1 व 2 के पिता नंदा के भुवाना नाम का कोई पुत्र था। भवाना पिता नंदा सुथार का देहावसान हो गया है एवं उसके वारिस अपीलाण्टगण/प्रतिवादी संख्या 2 से 4 है। इस कारण उक्त वादग्रस्त आराजी अपीलाण्ट/प्रतिवादी

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

नम्बर, 2, 3, 4, की है, यह सरासर गलत एवं मनगढन्त कथन है । क्योंकि भवाना नाम का कोई पुत्र प्रतिवादी नम्बर 2 व 3 का नहीं था तथा विवादित भूमि से प्रतिवादी नम्बर 2, 3, व 4 का कोई संबंध नहीं था तथा विवादित भूमि का आवंटन प्रतिवादी नम्बर 1/भवाना पिता धूला को हुआ । प्रथम राजस्व रेकार्ड में अंकन भी प्रतिवादी नम्बर 1/भवाना पिता धूला के नाम हुआ एवं भू प्रबन्ध विभाग ने भी अपने निर्णय दिनांक 27.6.1973 में वादग्रस्त आराजी को प्रतिवादी नम्बर 1 के नाम दर्ज किये जाने का आदेश पारित किया है। जबकि भवाना पिता नंदा नाम का व्यक्ति केवल काल्पनिक है एवं प्रतिवादी नम्बर, 2, 3, व 4 ने विवादित भूमि को हडपने की गरज से षड्यंत्र किया है। अपीलार्थी संख्या 1/प्रतिवादी नम्बर 4 ने पुलिस थाना बिजौलिया में एक प्रथम सूचना दर्ज करवाई जिस पर पुलिस द्वारा अंतिम रिपोर्ट दिनांक 29.8.1991 को प्रस्तुत की एवं न्यायालय एम जे एम, बिजौलिया ने दिनांक 17.12.1992 को उक्त अंतिम रिपोर्ट को स्वीकार किया । जिससे भी यह स्पष्ट है कि भुवाना पिता नंदा नाम का कोई व्यक्ति नहीं है एवं वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी नम्बर 1 की आराजी है।

17. जब प्रतिवादी नम्बर 1 को विवादित भूमि का आवंटन किया गया था उसी दिन दिनांक 17.12.1971 को अपीलार्थी संख्या 1/प्रतिवादी नम्बर 4 को भी आराजी नम्बर 422 में ही 12 बीघा भूमि का आवंटन किया गया था। इस प्रकार प्रतिवादी नम्बर 4 को इस तथ्य की सम्पूर्ण जानकारी थी कि विवादित भूमि का आवंटन प्रतिवादी नम्बर 1 को किया गया है फिर भी राजस्व रेकार्ड में प्रत्यर्थी संख्या 14/प्रतिवादी नम्बर 5 से मिलकर गलत अंकन करवा लिया जो दुरूस्त किये जाने योग्य है। भू प्रबन्ध विभाग द्वारा जारी किये गये आदेश एवं भू प्रबन्ध के पश्चात राजस्व रेकार्ड में किसी प्रकार का परिवर्तन करने का

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

अधिकार प्रत्यर्थी संख्या 14/प्रतिवादी नम्बर 5 को नहीं है। प्रत्यर्थी संख्या 14/प्रतिवादी नम्बर 5 जो कि लैण्ड होल्डर है ने अपने राजस्व रेकार्ड में प्रतिवादी नम्बर 1 की वल्दियत धूला के स्थान पर नंदा कर दिया है वह अंकन निरस्त होकर दुरूस्त किये जाने योग्य है तथा इस आशय की घोषणा किया जाना आवश्यक है कि वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी नम्बर 1 की आवंटितसुदा भूमि है जिसमें अपीलाण्टगण/ प्रतिवादी नम्बर, 2, 3, व 4 या उसके परिवार का कोई हक अधिकार नहीं है। प्रतिवादी नम्बर 1 ने अपने अधिकारों के तहत उक्त आराजी का विक्रय वादी के पक्ष में दिनांक 15.3. 1991 को कर उसका पंजीयन करा दिया तथा वादग्रस्त भूमि का कब्जा वादी को सिपुर्द कर दिया । उक्त विक्रय पत्र का शुद्धि पत्र दिनांक 4.5.1991 को निष्पादित कर दिया गया । इस विक्रय पत्र के द्वारा वादग्रस्त आराजी के सभी अधिकार वादी में निहित हो गये एवं कब्जा वादी को प्राप्त हो गया । प्रत्यर्थी संख्या 14/प्रतिवादी नम्बर 5 ने इस विक्रय पत्र के आधार पर वादग्रस्त भूमि का प्रत्यर्थी संख्या 1/वादी के नाम नामान्तरकरण संख्या 186 दिनांक 9.8. 1991 को निर्णित किया है। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि बाबत स्वामित्व वादी में निहित हो गये।

18. प्रतिवादी नम्बर 2 व 3 ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, माण्डलगढ के यहॉ उक्त नामान्तरकरण की अपील प्रस्तुत की जिसमें उपखण्ड अधिकारी जी ने अपील संख्या 19/91 निर्णय दिनांक 29.3.1993 पारित करते हुए कि मुख्य विवाद बिन्दु रेकार्ड का गलत हो जाना नियमित वाद में ही तय हो सकता है। इस आधार पर नामान्तरकरण तहसीलदार का निर्धारण नियमित वाद से ही संभव है। नामान्तरकरण की प्रक्रिया केवल फिसकल प्रोसेसिंग है जिसमें वास्तविक विवाद या स्वामित्व का निर्धारण संभव नहीं होगा । इस कारण वादी को वाद पेश कर अपने

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

अधिकारो की घोषणा करवाये जाने के अलावा अन्य कोई उपचार नहीं रहा है एवं प्रत्यर्थी संख्या 14/प्रतिवादी नम्बर 5 को किये गये रिमाण्ड आदेश पर प्रत्यर्थी संख्या 14/प्रतिवादी नम्बर 5 विवादित भूमि के अधिकारों एवं स्वामित्व के बिन्दु पर सुनवाई का क्षेत्राधिकार नहीं रखता है। इस कारण प्रत्यर्थी संख्या 14/प्रतिवादी नम्बर 5 के द्वारा की जाने वाली कार्यवाही का कोई औचित्य नहीं रहता है। इस कारण प्रत्यर्थी संख्या 14 के द्वारा की जाने वाली कार्यवाही का कोई औचित्य नहीं रहता है। अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थीगण/प्रतिवादीगण की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत करने के उपरान्त तनकियात कायम की । प्रत्यर्थी संख्या 1/वादी द्वारा वाद को साबित कराने हेतु समुचित साक्ष्य, दस्तावेज प्रस्तुत किये। जिसका अवलोकन कर अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है जो विधिसम्मत है। अतः अपील अपीलार्थीगण खारिज की जावे।

19. हमनें उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात, राजस्व रेकार्ड एवं अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक उद्धरण का प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में अवलोकन किया । अधिनस्थ न्यायालय में प्रतिवादीगण की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत करने के उपरान्त निम्न तनकियात कायम की गई :–

1. आया गत बन्दोबस्ती आराजी नम्बर 422/11 जरिये आवंटन दिनांक 17.12.1971 से प्रतिवादी नम्बर 1 के नाम दर्ज की गई एवं खातेदार प्रतिवादी नम्बर 1 को घोषित किया गया । वर्तमान बन्दोबस्त में उक्त आराजी के नये नम्बर 678/646 रकबा 10 बीघा 13 बिस्वा कायम होकर भू प्रबन्ध विभाग ने प्रतिवादी नम्बर 1 के नाम दिनांक 27.8.1973 को दर्ज रेकार्ड करने का आदेश पारित किया गया ?

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

2. आया विवादित आराजी पर आवंटन से प्रतिवादी नम्बर 1 का स्वामित्व एवं कब्जा था ?
3. आया प्रतिवादी नम्बर 2, 3, व 4 के भवाना नाम का कोई पुत्र व भाई नहीं था एवं प्रतिवादी नम्बर 2, 3, व 4 ने राजस्व रेकार्ड में मिलाभगती से प्रतिवादी नम्बर 1 की वल्दियत में कांट–फांस कर धूला के स्थान पर नंदा दर्ज करवा लिया एवं विवादित आराजी को हड़पने का षड्यंत्र किया ?
4. आया भू प्रबन्ध विभाग कि इन्द्राज के पश्चात बिना सक्षम न्यायालय के आदेश के प्रतिवादी नम्बर 5 ने राजस्व रेकार्ड में प्रतिवादी नम्बर 1 की वल्दियत धूला के स्थान पर नन्दा का अंकन कर दिया गया जो दुरूस्ती योग्य है?
5. आया प्रतिवादी नम्बर 1 ने विवादित आराजी का विक्रय दिनिांक 15.3.1991 व शुद्धि पत्र दिनांक 4.5.1991 के तहत वादी को करा कब्जा वादी को सिपुर्द कर दिया जो साधिकार होकर नामान्तकरण संख्या 186 के द्वारा वादी खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने योग्य है ?
6. आया वादी अपने अधिकारों की घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के लिए दावा लाने का अधिकारी है?
7. आया प्रतिवादी नम्बर 1 को दावा पेश कर अपने अधिकारों की घोषणा करवानी चाहिये थी दावा सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार का होने से दावा चलने योग्य नहीं है ?
8. आया वादी का वाद बेरून मियाद है ?
9. आया प्रतिवादी नम्बर 2 व 3 के पूर्व खातेदार भवाना पिता नंदा के जायज वारिस हैं व काबिज जायदाद हैं जिससे वे खातेदारकाश्तकार के रूप में दर्ज किये जाने चाहिये ?

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

10. अनुतोष ।

20. अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तनकी नम्बर 1 से 6 को एकसाथ निर्णित किया गया है । जबकि अधिनस्थ न्यायालय को चाहिये था कि प्रत्येक तनकी को उपलब्ध साक्ष्य, दस्तावेज एवं राजस्व रेकार्ड का अवलोकन कर निर्णित करना चाहिये था। अधिनस्थ न्यायालय ने तनकी नम्बर 1 से 6 को इस प्रकार निर्णित किया है । वादी द्वारा प्रदर्श 1 जमाबंदी परिवर्तनशील व प्रदर्श 2 आदेश दिनांक 27.8.1973 प्रस्तुत किये है । प्रदर्श 1 राजस्व रेकार्ड है जो संवत 2029 काहै जिसके कॉलम नम्बर 5 में भवानी लाल पिता धूला खाती साकिन माजी साहब का खेडा अंकित किया गया है। कॉलम संख्या 6 में वादग्रस्त आराजी नम्बर 422/11 एवं कॉलम नम्बर 7 में रकबा 8 बीघा अंकन किया हुआ है। विशेष विवरण के कॉलम नम्बर 22 में तहसील के मिसल नम्बर 97 सन् 72 से गैर खातेदारी हक से दर्ज कर लगान वसूल करने की स्वीकृति का अंकन है। उक्त दस्तावेज के आधार पर अधिनस्थ न्यायालय ने यह माना कि उक्त आराजी सर्वप्रथम राजस्व रेकार्ड में भवाना पिता धूला खाती के नाम जरिये आवंटन दर्ज हुई। इस दस्तावेज का कोई खण्डन राजस्व रेकार्ड से नहीं होना माना है। प्रदर्श 2 ए0आर0ओ0 भीलवाडा द्वारा प्रकरण संख्या 1022/73 में पारित आदेश दिनांक 27.8.1973 है। जिसके द्वारा भवाना पिता धूला को वादग्रस्त हाल आराजी नम्बर 678/646 रकबा 10 बीघा 13 बिस्वा का खातेदार काश्तकार माने जाने का निर्णय पारित किया गया है। उक्त निर्णय प्रतिवादी नम्बर 1 की प्रार्थना पर मिसल कायम कर बाद विचारण पारित किया गया है। इस निर्णय के द्वारा आराजी प्रतिवादी नम्बर 1 के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज की गई। उक्त दोनो दस्तावेज को अधिनस्थ न्यायालय ने महत्वपूर्ण माना है। इसके विपरीत प्रतिवादी संख्या 2 से 4 ने केवल मात्र प्रदर्श

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

ए –1 प्रस्तुत कर जमांबदी संवत 2047 से 2050 पेश की है। जो आवंटन को सिद्ध नही करती है। और भवाना पिता नंदा के नाम को दर्ज होना दर्शाती है। अधिनस्थ न्यायालय ने तनकी संख्या 1 से 6 के निर्णय में यह तथ्य स्वीकार किया है कि प्रतिवादीगण द्वारा यह नहीं करवाया गया कि भवाना पिता नन्दा के नाम उक्त आराजी किस प्रकार व सर्व प्रथम कब दर्ज की गई। संवत 2047 से 2050 से पूर्व अर्थात सन् 1971 से 1973 तक का रेकार्ड या गत आराजी नम्बर 422/11 की तत्कालीन समय के राजस्व रेकार्ड में क्या स्थिति थी। इस बिन्दु को प्रतिवादीगण ने छुआ तक नहीं है।

21. अधिनस्थ न्यायालय ने तनकी नम्बर 1 से 6 को निर्णित करने में न्यायालय एम जे एम बिजौलिया द्वारा पुलिस थाना बिजौलिया में दर्ज एफ आई आर पर अंतिम प्रतिवेदन को स्वीकार कर प्रतिवादी नम्बर 4 द्वारा पुलिस थाने में कूट रचित व फर्जी विक्रय पत्र के संबध में रिपोर्ट प्रस्तत करने के विरूद्ध मूल स्वामी द्वारा ही विक्रय किया जाना माना है। उक्त दस्तावेज प्रदर्श 5 है।

22. अधिनस्थ न्यायालय द्वारा गवाह पी डब्ल्यू 5 कन्हैया लाल सुथार, एवं पी डब्ल्यू 4 गोवर्धन सुथार जो कि प्रतिवादी संख्या 2, 3 के जायन्दा पुत्र है ने भी अपने बयानों में भवाना नाम का कोई भाई नहीं होना बताया तथा डी डब्ल्यू 1 नन्दा सुथार के बयान की जिरह की चौथी लाईन में यह तथ्य स्वीकार किये जाने को आधानमाना है कि '' उसका पुत्र भवाना था जो मरा तब उसकी उम्र 14–15 वर्ष थी। भवाना को विवादित जमीन अलॉट हुई थी। उसको उसने 4–5 तक बोई थी। '' इस कथन पर विश्वास करते हुए कि तथाकथित भवाना जब नाबालिग अवस्था में ही मर चुका था औरउसके 4–5 वर्ष पहले उसे वादग्रस्त भूमि आवंटित हुई थी तो वक्त आवंटन भवाना पिता नंदा की उम्र

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

9–10 वर्ष की रही होगी। नियमानुसार नाबालिग व्यक्ति को आवंटन नहीं हो सकता है। और इसी गवाह ने नन्दा के दोनों पुत्र वादी की ओर से पी डब्ल्यू 5 व पी डब्ल्यू 6 के रूप में पेश हुए जिन्होने भवाना नामा का नंदा के कोई पुत्र नहीं होने का कथन किया है।

23. अधिनस्थ न्यायालय ने यह भी माना है कि वर्तमान आराजी नम्बर 678/646 गत बन्दोबस्ती आराजी नम्बर 422/11 से बनना प्रदर्श 2 से सिद्ध माना है। और इस आशय का भू प्रबन्ध पर्चा जारी होना माना है। साथ ही यह भी माना है कि **बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश से राजस्व रेकार्ड में परिवर्तनकिया जाना विधि विपरीत है।** यदि भू प्रबन्ध विभाग के उक्त निर्णय प्रदर्श 2 के विरूद्ध प्रतिवादीगण कोई अनुतोष चाहते या राजस्व रेकार्ड में परिवर्तन करवाना चाहते थे तो उन्हें सक्षम न्यायालय से डिक्री प्राप्त करनी चाहिये थी।

24. तनकी संख्या 1 से 6 के संबंध में मेरा विनम्र अभिमत है कि वादग्रस्त साबिक आराजी नम्बर 422/11 रकबा 8 बीघा भूमि का आवंटन भवाना पिता धूला को किया जाना वादी/रेस्पोडेण्ट संख्या 1 साबित नहीं कर सके हैं। जबकि अपीलाधीन प्रकरण में न तो अधिनस्थ न्यायालय में एवं न ही न्यायालय हाजा में आवंटन से संबंधित दस्तोवज, आवंटन हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र एवं आवंटन पत्रावली उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत की गई है। पत्रावली के अवलोकन एवं राजस्व रेकार्ड तथा विक्रय पत्र के अवलोकन से यह तथ्य भलीभॉति प्रकट होता है कि वादग्रस्त आराजी का आवंटन भवाना पिता धूला सुथार को किया जाना प्रमाणित नहीं है, तथा राजस्व रिकार्ड में भवाना पिता धूला से भिन्न भवाना पुत्र नन्दा रिकार्डेड खातेदार दर्ज है। वादग्रस्त आराजी का बिकाव भवाना पिता धूला द्वारा किया गया जबकि राजस्व रिकार्ड में भवाना पुत्र नेन्दा दर्ज था, जिसकी

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

दुरूस्ती से पूर्व किया गया बिकाव विधिक मान्यता नहीं रखता। जिस बिकाव पत्र के आधार पर प्रत्यर्थी संख्या 1/वादी बालूराम के नाम नामान्तरकरण संख्या 186 दिनांक 9.8.1991 से वादग्रस्त आराजी राजस्व रेकार्ड में दर्ज की गई। जब राजस्व रेकार्ड में वादग्रस्त आराजी भवाना पिता नंदा खाती के नाम दर्ज रेकार्ड थी ऐसी स्थिति में जब तक विक्रेता/प्रतिवादी संख्या 1 भवाना पिता धूला राजस्व रेकार्ड में नियमानुसार भवाना पिता नंदा सुथार के स्थान पर भवाना पिता धूला नहीं करवा लेता उसे वादग्रस्त आराजी को विक्रय करने का अधिकार ही प्राप्त नहीं था। विधिक रूप से राजस्व रिकार्ड में भवाना पुत्र धूला के नाम खातेदारी दर्ज नहीं होने के उपरान्त भी लैण्ड होल्डर तहसीलदार द्वारा वादग्रस्त आराजी का नामान्तरकरण प्रत्यर्थी संख्या 1/वादी के पक्ष में किया गया था वह आरंभ से ही विधिसम्मत नहीं होने से शून्य है।

25. प्रदर्श 2 न्यायालय ए आर ओ , भीलवाडा द्वारा पारित आदेश की प्रति है। भू प्रबन्ध विभाग को इस प्रकार का शुद्धि पत्र जारी किये जाने का अधिकार ही नही था। भू प्रबन्ध को मात्र भू प्रबन्ध के दौरान हुए गलत इन्द्राज को संशोधन करने का अधिकार प्राप्त है। जबकि वादग्रस्त आराजी भू प्रबन्ध से पूर्व ही भवाना पिता नंदा सुथार के नाम दर्ज थी ऐसी स्थिति में भू प्रबन्ध विभाग को भवाना पिता नंदा के बजाय भवाना पिता धूला को खातेदारी अधिकार प्रदान करने का विधिक अधिकार ही प्राप्त नहीं था। उक्त आदेश की पालना में किये गये नामान्तरकरण के विरूद्ध नन्दा पिता हीरा सुथार द्वारा उपखण्ड अधिकारी, माण्डलगढ के न्यायालय में अपील प्रस्तुत करने पर उपखण्ड अधिकारी, माण्डलगढ ने प्रकरण संख्या 19/91 निर्णय दिनांक 29.9.1993 पारित करते हुए नामान्तरकरण संख्या 186 दिनांक 9.8.91 को निरस्त कर दिया। जिसके

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

उपरान्त वादग्रस्त आराजी पुनः राजस्व रेकार्ड में भवाना पिता धूला के नाम के बजाय भवानी लाल पिता नंदा खाती के नाम दर्ज किये जाने की स्वीकृति का अंकन दिनांक 13. 8..1993 को राजस्व रेकार्ड में किया गया । उक्त निर्णय की कोई अपील भवाना पिता धूला सुथार द्वारा नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में भवाना पिता धूला द्वारा किया गया विक्रय पत्र एवं उसके आधार पर प्रत्यर्थी संख्या 1/वादी के पक्ष में खोला गया नामान्तरकरण शून्य प्रभावी हो चुका था।

26. अधिनस्थ न्यायालय में गवाहान के बयान पंजीबद्ध किये गये थे। जिनमें गवाह पी डब्ल्यू 5 कन्हैया लाल सुथार, एवं पी डब्ल्यू 4 गोवर्धन सुथार जो कि प्रतिवादी संख्या 2, 3 के जायन्दा पुत्र है ने भी अपने बयानों में भवाना नाम का कोई भाई नहीं होना बताया तथा डी डब्ल्यू 1 नन्दा सुथार के बयान की जिरह की चौथी लाईन में यह तथ्य स्वीकार किये जाने को आधार माना है कि '' उसका पुत्र भवाना था जो मरा तब उसकी उम्र 14–15 वर्ष थी। भवाना को विवादित जमीन अलॉट हुई थी। उसको उसने 4–5 तक बोई थी। '' के बयानों का अवलोकन करने से यह तथ्य भी भलीभॉति प्रकट होता है कि भवाना पिता नंदा सुथार को जब वादग्रस्त आराजी संख्या 422 में से 8 बीघा भूमि का आवंटन किया गया था उस समय वह नाबालिग था एवं नाबालिग को भूमि का आवंटन नहीं किया जा सकता है। तो आवंटन ही संदिग्ध हो जाता है। स्वयं गवाह डी डब्ल्यू 1 नंदा सुथार जो कि उनके अनुसार भवाना आवंटी का पिता है जिसने वादग्रस्त आराजी अपने पुत्र भवाना को आवंटन होने का कथन किया है एवं उसके द्वारा 4–5 वर्ष तक काश्त बोने का कथन किया है। जो विश्वसनीय नहीं है। गवाह पी डब्ल्यू 5 कन्हैया लाल सुथार, एवं पी डब्ल्यू 4 गोवर्धन सुथार जो कि प्रतिवादी संख्या 2, 3 के जायन्दा पुत्र है ने भी अपने बयानों में

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

भवाना नाम का कोई भाई नहीं होना बताया है । जो नंदा सुथार के बयानों को भी संदिग्ध साबित करता है। चूंकि यदि भवाना पिता नंदा सुथार को आवंटन किया जाता तो निश्चित तौर पर भवाना पिता नंदा द्वारा अपने पुत्र के पक्ष में हुए आवंटन पत्र को प्रस्तुत किया जाता । अपीलार्थीगण द्वारा ऐसा कोई आवंटन आदेश अथवा आवंटन पत्रावली प्रस्तुत नहीं की गई है जिससे यह तथ्य साबित होता हो कि वादग्रस्त आराजी का आवंटन भवाना पिता नंदा सुथार को किया गया हो।

27. प्रतिवादी नम्बर 1/प्रत्यर्थी संख्या 2 से 13 के पूर्वज भवाना पिता धूला सुथार ने वादग्रस्त आराजी को अपने आपको आवंटन होने का कथन करते हुए वादग्रस्त आराजी का विक्रय प्रत्यर्थी संख्या 1/वादी को वादग्रस्त आराजी का विक्रय किया है। जबकि राजस्व रेकार्ड में वादग्रस्त आराजी का खातेदार काश्तकार भवाना पिता धूला नहीं होकर भवाना पिता नंदा सुथार अंकित था। यदि प्रतिवादी संख्या 1 भवाना पिता धूला सुथार को वादग्रस्त आराजी का आवंटन किया गया था तो प्रतिवादी संख्या 1/भवाना पिता धूला को राजस्व रेकार्ड में हुए गलत अंकन हेतु सक्षम स्तर पर चाराजोही कर राजस्व रेकार्ड में दुरूस्ती कर अनुतोष प्राप्त करना चाहिये था। जबकि प्रतिवादी संख्या 1 भवाना पिता धूला सुथार द्वारा ऐसी कोई विधिक कार्यवाही नहीं की गई । उपखण्ड अधिकारी , माण्डलगढ द्वारा नामान्तरकरण संख्या 186 दिनांक 9.8.91 को निरस्त किये जाने के आदेश दिनांक 29.9.93 की कोई अपील भी प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में प्रत्यर्थी संख्या 1/वादी बालू को विक्रय पत्र दिनांक 15.3.1991 से वादग्रस्त आराजी में किसी प्रकार के हक अधिकार प्राप्त नही होते हैं।

28. अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रेकार्ड से यह तथ्य भी प्रकट हुआ है कि वादग्रस्त आराजी

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

नम्बर 678/646 रकबा 10 बीघा 13 बिस्वा को खातेदार भवानी लाल पिता नंदा खाती द्वारा बैंक ऑफ बडौदा शाखा बिजौलिया के यहॉ रहन रखी गई थी। जिसमें वादग्रस्त आराजी को भवानीलाल पिता नंदा खाती द्वारा रहन रखी गई थी। ऐसी स्थिति में प्रतिवादी संख्या 1/भवाना पिता धूला द्वारा राजस्व रेकार्ड में संशोधन कराये बगैर ही वादग्रस्त आराजी को रहन किस आधार पर रख दिया गया था। उसके द्वारा रहन रखे जाने से पूर्व अपने आपके भवाना पिता नंदा होने बाबत क्या दस्तावेज प्रस्तुत किये गये थे। अपने आपको भवाना पिता नंदा खाती किस प्रकार साबित किया गया था। जबकि भवाना पिता नंदा की मृत्यु नाबालिग अवस्था में ही हो चुकी थी। तो भवानी लाल पिता नंन्दा खाती द्वारा वादग्रस्त आराजी को किस प्रकार रहन रखा जा सकता है। उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में वादग्रस्त साबिक आराजी नम्बर 422/11 रकबा 8 बीघा का आवंटन ही संदिग्ध हो जाता है। अपीलाधीन प्रकरण में भवाना पिता नन्दा के पिता डी डब्ल्यू 1 नंदा अपने पुत्र भवाना के नाम पर वादग्रस्त आराजी का आवंटन नाबालिग अवस्था में होने का कथन करते हैं तो इसके विपरीत गवाह पी डब्ल्यू 5 कन्हैया लाल सुथार, एवं पी डब्ल्यू 4 गोवर्धन सुथार जो कि प्रतिवादी संख्या 2, 3 के जायन्दा पुत्र होकर आवंटी भवाना के भाई होते हैं ने भी अपने बयानों में भवाना नाम का कोई भाई नहीं होना बताते हैं। नंदा सुथार एवं नंदा सुथार के वारिसान जो कि अपीलाण्ट है उनके द्वारा भी वादग्रस्त आराजी के आवंटन पूर्वज भवाना पिता नंदा खाती को होने बाबत कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये हैं। दूसरी तरफ प्रतिवादी संख्या 1 भवाना पिता धूला सुथार ने भी वादग्रस्त आराजी अपने नाम पर आवंटन होने बाबत कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है। उसके बावजूद अधिनस्थ न्यायालय ने तनकी नम्बर 1 से 6 का निर्णय प्रत्यर्थी संख्या

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

1/वादी के पक्ष में करते हुए अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है जिसका समर्थन नहीं किया जा सकता है।

29. अधिनस्थ न्यायालय ने तनकी नम्बर 7 से 9 का निर्णय एकसाथ करते हुए अपना अभिमत इस प्रकार अंकित किया है " इन तनकियों को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर था परन्तु प्रतिवादीगण द्वारा वैधानिक रूप से ऐसा कोई तथ्य पेश नहीं किया है जिससे यह सिद्ध होता हो कि वादग्रस्त आराजी भवाना पिता नंदा सुथार के नाम से आवंटन की गई हो । इस संबंध में गवाह पी डब्ल्यू 5 व पी डब्ल्यू 4 के बयानों जिसमें उनके द्वारा भवाना नाम का कोई भाई नहीं होने का कथन किया है अर्थात नन्दा पिता हीरा जो प्रतिवादी संख्या 2 है के भवाना नाम का कोई पुत्र नहीं था। अधिनस्थ न्यायालय ने इस आधार पर तनकी संख्या 7 से 9 को वादी के पक्ष में माना है कि मौजा नयागांव की जमीन भवाना पिता धूला खाती के नाम दर्ज थी । ग्राम माजी साहब का खेडा में भवाना पिता धूला नाम का व्यक्ति था यह तथ्य प्रमाणित करता है माजी साहब का खेडा में 1 परिवार खाती समाज का रहता था। इस आधार पर अधिनस्थ न्यायालय ने गत बन्दोबस्ती आराजी नम्बर 422/11 भवाना पिता नंदा खाती को आवंटन होना नहीं माना जा सकता है। इस आधार पर तनकी संख्या 7 से 9 को प्रतिवादीगण के विरूद्ध निर्णित की गई है। जबकि तनकी संख्या 7 से 9 को निर्णित करने से पूर्व आवंटन संबंधी दस्तावेज को रेकार्ड पर प्रस्तुत करने हेतु पक्षकारान को निर्देशित किया जाता, तहसीलदार से वादग्रस्त आराजी के आवंटन बाबत जांच करवाई जाती उसके उपरान्त उपलब्ध रिपोर्ट, दस्तावेज के आधार पर तनकी संख्या 7 से 9 को निर्णित किया जाता । अधिनस्थ न्यायाालय ने कयासी आधार पर तनकी संख्या 7 से 9 को बिना साक्ष्य के निर्णित करते हुए अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है जिसका

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

समर्थन नहीं किया जा सकता है। राजस्व रिकार्ड में भवाना पुत्र धुला का नाम खातेदार के रूप में दर्ज होने से पूर्व जब भवाना पुत्र धुला को ही खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं, तो भवाना पुत्र धुला से विक्रय अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं, तो भवाना पुत्र धुला से विक्रय पत्र के आधार पर भूमि क्रय करने मात्र से ही वादी किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हो सकते। वादी जिस भुवाना पुत्र धुला के फुटस्टेप में वाद ले कर आये हैं। उसके खातेदारी अधिकारों के विश्लेषण के बिना किया गया अपीलाधीन आदेश विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण है।

30. प्रकरण के विस्तृत विश्लेषण से प्रकट होता है कि भवाना पुत्र नन्दा के नाम का आवंटन भी स्पष्ट रूप से विधिक प्रकट नहीं होता है । आवंटन की मूल पत्रावली न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं है, तथा आवंटन के आधार पर दर्ज खातेदार भवाना पुत्र नन्दा के आवंटन के समय नाबालिग होने, का तथ्य भी प्रकट आया है, तथा आवंटन सूची की प्रति में भी भवाना पुत्र कूका लिखा जाना प्रकट हुआ है। ऐसे में आवंटन एवं इस आधार पर दर्ज खातेदारी इन्द्राज को संदेह से परे नहीं माना जा सकता । अन्तर्निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए भूमिधारक तहसीलदार, बिजौलिया को आदेशित किया जाता है कि वे आवंटन एवं इस आधार पर दर्ज खातेदारी अधिकारों को परिवर्तित करें। आवंटन कार्यवाही से भिन्न राजस्व रिकार्ड में खातेदारी अधिकार भवाना पुत्र नन्दा के नाम दर्ज होना पाये जाने पर भूमि को विधिक रूप कब्जेराज लेने की कार्यवाही की जावे।

31. अतः भवाना पुत्र धूला के राजस्व रिकार्ड में खातेदार दर्ज नही होने के बावजूद बिना आधार किये गये बेचान से वादी किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं होने से अपील अपीलार्थीगण स्वीकार कर अधिनस्थ

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

न्यायायल द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 23.5.2012 को निरस्त किया जाता है एवं अन्तर्निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए भूमिधारक तहसीलदार, बिजौलिया को आदेशित किया जाता है कि वे आवंटन एवं इस आधार पर दर्ज खातेदारी इन्द्राज की पूर्ण जांच उपरान्त ही भवाना पुत्र नन्दा के खातेदारी अधिकारों को परिवर्तित करें। आवंटन कार्यवाही से भिन्न राजस्व रिकार्ड में खातेदारी अधिकार भवाना पुत्र नन्दा के नाम दर्ज होना पाये जाने पर भूमि को विधिक रूप कब्जेराज लेने की कार्यवाही की जावे। पर्चा डिक्री मूर्तिब की जावे।

32. निर्णय आज दिनांक 27.9.2019 को सरे इजलास सुनाया गया ।

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी – श्री हेमन्तस्वरूप माथुर, आर ए एस

अपील संख्या आर टी ए/244/2012

उनवान

1. बरदी चन्द पिता नंदा सुथार, निवासी गोपालपुरा, तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा
2. मु0 तुलसी पुत्री नंदा सुथार, निवासी गोपालपुरा, तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा
3. मु0 घीसी पुत्री नंदा सुथार, निवासी गोपालपुरा, तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा
4. मु0 मोतीया पुत्री नंदा सुथार, निवासी गोपालपुरा, तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा

अपीलाण्ट/प्रतिवादीगण

बनाम

1. बालूराम पिता रामचन्द्र तेली मृतक के बजायः–

1/1 कमला पत्नी बालूराम तेली निवासी जोलास तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा

1/2 प्रहलाद पिता बालूराम तेली निवासी जोलास तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा

1/3 गोपाल पिता बालूराम तेली निवासी जोलास तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा

1/4 लोकेश पिता बालूराम तेली निवासी जोलास तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा

1/5 श्रीमती सम्पत्ती पुत्री बालूराम तेली पत्नी श्रवण तेली निवासी जोलास, हाल सिंगोली तहसील जावद जिला नीमच (मध्यप्रदेश)

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

2. देऊ पत्नी कन्हैया लाल सुथार निवासी माजी साहब का खेडा तहसील बिजौलिया
3. सोहन लाल पुत्र कन्हैया लाल सुथार निवासी माजी साहब का खेडा तहसील बिजौलिया
4. शंकरी पुत्री कन्हैया लाल सुथार निवासी माजी साहब का खेडा तहसील बिजौलिया
5. मंजू बाई पुत्री कन्हैया लाल सुथार निवासी माजी साहब का खेडा तहसील बिजौलिया
6. भंवरी देवी पुत्री भवाना पत्नी गोविन्द सुथार निवासी जावदा तहसील बिजौलिया
7. सोहनी पुत्री भवाना पत्नी मांगी लाल सुथार निवासी केशरपुरा तहसील बिजौलिया
8. गीता देवी पत्नी गोरधन लाल सुथार निवासी गोपालपुरा तहसील बिजौलिया
9. प्रहलाद पिता गोरधन लाल सुथार निवासी गोपालपुरा तहसील बिजौलिया
10. रामचन्द्र पिता गोरधन लाल सुथार निवासी गोपालपुरा तहसील बिजौलिया
11. गायत्री पुत्री गोरधन लाल सुथार निवासी गोपालपुरा तहसील बिजौलिया
12. संतरा पुत्री गोरधन लाल सुथार निवासी गोपालपुरा तहसील बिजौलिया
13. लाड पुत्री गोरधन लाल सुथार निवासी गोपालपुरा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा
14. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, बिजौलिया जिला भीलवाडा

रेस्पोडण्ट

अपील विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, बिजौलिया के प्रकरण संख्या 23/2010(698/2001) निर्णय एवं डिक्री दि0 23.5.2012

अपील में डिक्री

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

(आदेश 41 का नियम 35)

उक्त प्रकरण संख्या आरटीए/244/2012 मे **उपखण्ड अधिकारी, बिजौलिया** के आदेश की अपील इस न्यायालय मे होने पर निम्नांकित ड़िक्री जारी की जाती हैः–

यह अपील तारीख 27.9.2019 को अपीलाण्ट की ओर से श्री डी के सिसोदिया वकील एवं प्रत्यर्थी श्री आर सी सारस्वत एवं राजकीय पक्ष की ओर से श्री ओम प्रकाश सोनी की उपस्थिति मे दिनांक 27.9.2019 को सुनवाई के लिये आने पर आदेश दिया जाता है किः–

भवाना पुत्र धूला के राजस्व रिकार्ड में खातेदार दर्ज नही होने के बावजूद बिना आधार किये गये बेचान से वादी किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं होने से अपील अपीलार्थीगण स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायायल द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 23.5.2012 को निरस्त किया जाता है एवं अन्तर्निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए भूमिधारक तहसीलदार, बिजौलिया को आदेशित किया जाता है कि वे आवंटन एवं इस आधार पर दर्ज खातेदारी इन्द्राज की पूर्ण जांच उपरान्त ही भवाना पुत्र नन्दा के खातेदारी अधिकारों को परिवर्तित करें। आवंटन कार्यवाही से भिन्न राजस्व रिकार्ड में खातेदारी अधिकार भवाना पुत्र नन्दा के नाम दर्ज होना पाये जाने पर भूमि को विधिक रूप कब्जेराज लेने की कार्यवाही की जावे।

इस अपील के खर्चे जिनका ब्यारा नीचे दिया जा रहा है जिनकी रकम है तथा अपीलाण्ट के द्वारा दिये जाने है तथा मूल वाद के खर्चे जो प्रत्यर्थी द्वारा दिये जाने है।

आज दिनांक 27.9.2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर से यह ड़िक्री जारी की जाती है।

27/9/19

(हेमन्तस्वरूप माथुर)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाडा

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा

अपील के खर्चे

अपीलाण्ट
1. अपील के लिये ज्ञापन
2. शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प
3. आदेशिकाओं की तामील
4. प्लीडर की फीस

रेस्पोडेण्ट
1. शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प
2. अर्जी के लिये स्टाम्प
3. आदेशिकाओं की तामील
4. प्लीडर की फीस